चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 29.05.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑमरी का निरीक्षण कर आरक्षी/महिला आरक्षियों का अर्दली रुम किया गया।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री यामीन अहमद,प्रतिसार निरीक्षक श्री रामा शीष यादव, पीआरओ श्री प्रदीप पाल व अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). उप स्टेशन प्रबंधक चित्रकूट धाम कर्वी जनपद चित्रकूट से मेमो फौती सूचना प्राप्त हुआ कि कर्वी -शिवरामपुर सेक्शन में किलोमीटर संख्या 1384/14-15 रेलवे ट्रैक अहमदगंज रेलवे क्रॉसिंग- चंद्रगहना के मध्य एक डेड बॉडी पड़ी है। शव को देखने से विक्षिप्त प्रतीत होता है। मृतक के दाहिने हाथ की कलाई में तुलसी नाम गुदा है तथा सर्प का टैटू बना है।
लाल सफेद चेकदार शर्ट तथा खाकी पेंट, अंडर वियर कत्थई रंग का, हरे रंग का गमछा काली बेल्ट पहने है।
तथा शव के पास से काली शर्ट मिली है सर मैं बड़े बड़े वाल बड़ी बड़ी दाढी दुर्बल शरीर गोल चेहरा गनदुम रंग है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है पंचायत नामा/पोस्टमार्टम की कार्रवाही की जा रही है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।
(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा दिनांक 29.05.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 25/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त अजय कुमार पुत्र रमेश चन्द्र निवासी सुरौधा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह व उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा ग्राम साईपुर में चाकू मारकर हत्या करने वाले नामजद शेष अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.05.2026 को वादिया श्रीमती रानी देवी पत्नी बाबूलाल यादव निवासी साईपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 25.05.2026 को अपने पति के साथ घर पर थी कि समय करीब 11.00 बजे रात्रि में 1.अमन पटेल पुत्र महेन्द्र पटेल निवासी ग्राम परसौजा थाना पहाड़ी 2.गोलू यादव उर्फ चन्द्रिका प्रसाद पुत्र देशराज यादव निवासी गढ़ीघाट (बरेदी पुरवा) थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 3.राकेश यादव पुत्र मूलचन्द्र यादव निवासी साईपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा वादिया के दरवाजे पर आकर वादिया के पति को अपने पास बुलाकर गाली गलौज करने लगे। इस पर वादिया के पति द्वारा गाली गलौज देने से मना करने पर अभियुक्तगणों द्वारा वादिया के पति के सीने में जान से मारने की नियत से चाकू मार देना। जिससे बाबूलाल की मृत्यु हो जाना।

दिनांक 27.05.2026 को अभियुक्त 1.अमन पटेल पुत्र महेन्द्र पटेल निवासी ग्राम परसौजा थाना पहाड़ी 2.गोलू यादव उर्फ चन्द्रिका प्रसाद पुत्र देशराज यादव निवासी गढ़ीघाट (बरेदी पुरवा) थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया था।
आज दिनांक 29.05.2026 को नामजद शेष अभियुक्त राकेश यादव पुत्र मूलचन्द्र यादव निवासी साईपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह
2.उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 अनूप कुमार शुक्ला मय हमराह आरक्षी प्रकाश मिश्रा,आरक्षी शुभम त्रिपाठी थाना मऊ द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र सुग्रीव प्रसाद निवासी चन्दई मजरा तितौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।